

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9- 1/2013./सत्रह/मंडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हेड एण्ड नेक आंकोलाजी इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हेड एण्ड नेक आंकोलाजी इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

संक.	समिति द्वारा अनुशंसित उपचार/जांच	समिति द्वारा अनुशंसित दरें
1.	कैंसर लम्ब	रुपये 50,000 / -
2.	कैंसर लिप	रुपये 49,000 / -
3.	कैंसर टान्सिल	रुपये 35,000 / -
4.	कैंसर सार्बिक्स	रुपये 50,000 / -
5.	कैंसर एरोफिमरा	रुपये 75,000 / -
6.	कैंसर ब्रेस्ट	रुपये 50,000 से 1,00,000 / -
7.	कैंसर बक्कल म्यूकोजा	रुपये 45,000 / -
8.	कैंसर सकेन्डी	रुपये 50,000 / -
9.	कैंसर ओवरी	रुपये 1,00,000 / -
10.	कैंसर रेक्टम	रुपये 75,000 / -
11.	कैंसर सारकोमा	रुपये 1,00,000 / -
12.	कैंसर पेरीटोनेज	रुपये 40,000 / -
13.	कैंसर गीक	रुपये 50,000 / -
14.	कैंसर ब्रेन ट्यूमर	रुपये 50,000 से 2,00,000 / -
15.	कैंसर सिलेवरी ग्लैंड	रुपये 30,000 / -
16.	कैंसर पेरीफोम	रुपये 50,000 / -
17.	कैंसर लेरिग्स	रुपये 50,000 / -
18.	कैंसर टेस्टिज	रुपये 50,000 / -
19.	कैंसर कोलन	रुपये 75,000 / -
20.	कैंसर वेजाइना	रुपये 50,000 / -

निरन्तर.....2

[Handwritten signature]

21	कैंसर ओरल	रुपये 50,000 / -
22	कैंसर एल्विआलस	रुपये 50,000 / -
23	कैंसर नेसोरिंगस	रुपये 40,000 / -
24	कैंसर पेनक्रियाज	रुपये 75,000 / -
25	कैंसर मेकिझला	रुपये 50,000 / -
26	कैंसर प्रोस्टेज	रुपये 75,000 / -
27	कैंसर थयराइड	रुपये 25,000 / -
28	कैंसर आर्वीटल ट्यूमर	रुपये 25,000 / -
29	कैंसर नाक एवं चमड़ी	रुपये 25,000 / -
30	कैंसर वेस्टवाल ट्यूमर	रुपये 50,000 / -
31	कैंसर रिक्टोपेरिटोनियल	रुपये 50,000 / -
32	कैंसर स्टगक	रुपये 50,000 / -
33	कैंसर पेनिस	रुपये 50,000 / -
34	कैंसर यूरिनरी ब्लेडर	रुपये 75,000 / -
35	कैंसर गिडिस्टोनियम ट्यूमर	रुपये 50,000 / -
36	कैंसर किडनी	रुपये 50,000 / -
37	कैंसर गर्भाशय	रुपये 50,000 / -
38	कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा	रुपये 50,000 / -
39	कैंसर बिल्स ट्यूमर	रुपये 50,000 / - प्रतिसिटिंग
40	कैंसर एनल केनाल	रुपये 50,000 / -


2/- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।

- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा ।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा / पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हीं दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 11- बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217/178/2013/नि/चार, दिनांक 04/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-1 / 2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 5/02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217/178/नियम/चार, दिनांक 04/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।

5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।


6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।

8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

10- संचालक, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हेड एण्ड नेक आंकोलाजी इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-2/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/02/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (ब) के अन्तर्गत कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच / उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

संक.	समिति द्वारा अनुशंसित उपचार/जांच	समिति द्वारा अनुशंसित दरें
1.	कैंसर लम्बा	रुपये 50000 / -
2.	कैंसर लिप	रुपये 49000 / -
3.	कैंसर मायलाएड ल्यूकीमिया	रुपय 2,00,000 / -
4.	कैंसर टान्सिल	रुपये 35,000 / -
5.	कैंसर सर्वेक्स	रुपये 50,000 / -
6.	कैंसर एसोफिगस	रुपये 75,000 / -
7.	कैंसर ब्रेस्ट	रुपये 50,000 से 1,00,000 / -
8.	कैंसर गाल ब्लेडर	रुपये 45,000 से 75,000 / -
9.	कैंसर वक्कल ग्यूकोजा	रुपये 45,000 / -
10.	कैंसर ब्लड (ए.एल.एल.)	रुपये 1,50,000 / -
11.	कैंसर सकेन्डी ब्लेडर	रुपये 50,000 / -
12.	कैंसर ओवरी	रुपये 1,00,000 / -
13.	कैंसर रेक्टम	रुपये 75,000 / -
14.	कैंसर सारकोमा	रुपये 1,00,000 / -
15.	कैंसर पेरीटिज	रुपये 40,000 / -
16.	कैंसर वीक	रुपये 50,000 / -
17.	कैंसर लिम्फोमा	रुपये 50,000 / -
18.	कैंसर लीवर	रुपये 75,000 / -
19.	कैंसर ब्रेन ट्यूमर	रुपये 50,000 से 2,00,000 / -
20.	कैंसर सिलेवरी ग्लैंड	रुपये 30,000 / -
21.	कैंसर पेरीफार्म	रुपये 50,000 / -
22.	कैंसर लैरेक्स	रुपये 50,000 / -

निरन्तर.....2

Signature

23	कैंसर टेस्टिज	रुपये 50,000 / -
24	कैंसर ल्यूकीमिया (सीएमएल)	रुपये 1,50,000 / -
25	कैंसर कोलन	रुपये 75,000 / -
26	कैंसर वेजाइना	रुपये 50,000 / -
27	कैंसर ओरल	रुपये 50,000 / -
28	कैंसर एल्विआलस	रुपये 50,000 / -
29	कैंसर नेसोरिंगस	रुपये 40,000 / -
30	कैंसर एक्ज्यूट गायलाइड ल्यूकीनिया (सीएमएल)	रुपये 2,00,000 / -
31	कैंसर पेनक्रियाज	रुपये 75,000 / -
32	कैंसर गेकिडला	रुपये 50,000 / -
33	कैंसर प्रोस्टेज	रुपये 75,000 / -
34	कैंसर थयराइड	रुपये 25,000 / -
35	कैंसर आर्बीटल ट्यूमर	रुपये 25,000 / -
36	कैंसर नाक एवं घगड़ी	रुपये 25,000 / -
37	कैंसर वेस्टवाल ट्यूमर	रुपये 50,000 / -
38	कैंसर रिक्टोपेरिटोनियल	रुपये 50,000 / -
39	कैंसर स्तनक	रुपये 50,000 / -
40	कैंसर पेनेस	रुपये 50,000 / -
41	कैंसर यूरिनरी ब्लेडर	रुपये 75,000 / -
42	कैंसर गिडिस्टीनियम ट्यूमर	रुपये 50,000 / -
43	कैंसर किडनी	रुपये 50,000 / -
44	कैंसर गार्भाशय	रुपये 50,000 / -
45	कैंसर न्यूरोब्लासटोमा	रुपये 50,000 / -
46	कैंसर विल्स ट्यूमर	रुपये 50,000 / - प्रति सिटिंग
47	कैंसर एनल केनल	रुपये 50,000 / -

2/- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम निरन्तर.....3

Bhawan

- मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

10- संचालक, कैंसर विकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर।

प्रो.क.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-5 /2012/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 /02/2013


- 1- शासन के समस्त विभाग,
 - 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
 - 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
 - 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
 - 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
 - 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,
- विषय:-सेन्ट्रल इण्डिया किडनी हास्पिटल राईट टाउन जबलपुर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-5/2012/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 18/01/2012 के अनुक्रम में सेन्ट्रल इण्डिया किडनी हास्पिटल राईट टाउन जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 18/01/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

- 3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217/178/2013/नि/चार, दिनांक 04/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-5/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 5 /02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217/178/नियम/चार, दिनांक 04/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

- 4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

- 5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।

- 6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

- 7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

- 8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

- 9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

- 10- संचालक, सेन्ट्रल इण्डिया किडनी हास्पिटल राईट टाउन जबलपुर।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-4 /2012/सत्रह/मेडि 3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 /02/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,


विषय:- बाम्बे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-4/2012/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 18/01/2012 के अनुक्रम में बाम्बे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 18/01/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217/178/2013/नि/चार, दिनांक 04/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-4/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 5 /02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217/178/नियम/चार, दिनांक 04/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.
- 7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
- 8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
- 9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 10- संचालक, बाम्बे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-8 / 2010 / सत्रह / मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,


विषय:- मेट्रो हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर- को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-8 / 2010 / सत्रह / मेडि-3 दिनांक 18 / 01 / 2012 के अनुक्रम में मेट्रो हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 03 / 03 / 2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217 / 178 / 2013 / नि / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्र. ज. औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-8 / 2010 / सत्रह / मेडि-3

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217 / 178 / नियम / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।


6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

10- संचालक, मेट्रो हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-2 / 2010 / सत्रह / मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013


- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- एम.पी.बिरला हास्पीटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतना- को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2 / 2010 / सत्रह / मेडि-3 दिनांक 19 / 01 / 2012 के अनुक्रम में एम.पी.बिरला हास्पीटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतना- को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 03 / 03 / 2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217 / 178 / 2013 / नि / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-2 / 2010 / सत्रह / मेडि-3

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217 / 178 / नियम / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।

6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

10- संचालक, एम.पी.बिरला हास्पीटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतना।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-11 / 2011 / सत्रह / मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,


विषय:- गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-11 / 2011 / सत्रह / मेडि-3 दिनांक 01 / 06 / 2011 के अनुक्रम में गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 01 / 06 / 2012 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है। 3 / - यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217 / 178 / 2013 / नि / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 5 / 02 / 2013

पृ. क्रमांक एफ 9-11 / 2011 / सत्रह / मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217 / 178 / नियम / चार, दिनांक 04 / 02 / 2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
- 9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 10- संचालक, गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-4/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/02/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सालय में उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी जांच / उपचार की सुविधा हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है।-

2/- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र. भोपाल को भेजी जावेगी
- 2- चिकित्सालय द्वारा प्रचलित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त / मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह जांच करेंगे, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान / उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

निरन्तर.....2

- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
- 9- अस्पताल द्वारा उसी दर से फीस /चार्जस लिये जायेगे जो शासन द्वारा अनुमोदित हो ।
- 10-संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 11- बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।
- 3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 217/178/2013/नि/चार, दिनांक 04/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-⁴/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 217/178/नियम/चार, दिनांक 04/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।

5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।

6- समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।

8- समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,

9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

10- संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-5/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:-सिनर्जी हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत सिनर्जी हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Angiography	8,500/- Angiography including coronary, carotid, renal, aortogram peripheral (inclusive of investigation)
2	Angioplasty	50,000/- without stent
3	By pass surgery/CABG	1,00,000/-(including coronary angiography)
4	Angioplasty with stent	72,000/- coronary Angioplasty with one stent (non drug eluting) 72,000/-+25,000/- = 97,000/- For second stent Exrta Rs.25000/-
5	ASD/VSD	80,000/- ASD Surgical or device closure 90,000/- VSD closure Surgical or device closure
6	Single Valve Replacement	1,30,000/-
7	Double Valve Replacement	1,65,000/-
8	Pace Maker Implantation	55,000/- including CE approved pacemaker for FDA approval 65,000/-
9	closed heart procedures	65,000/-
10	T.M.T.	1000/-
11	Echo/Color Doppler/ECG	1000/-

निरन्तर.....2


//2//

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हीं दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 11- बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 373/379/2013/नि/चार, दिनांक 22/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन


✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निरन्तर.....3

पृ.क्रमांक एफ 9-05/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22 /02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 373/379/2013/ नि/चार, दिनांक 22/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, सिनर्जी हॉस्पिटल, इन्दौर



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-3/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- वर्मा यूनिन हॉस्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत वर्मा यूनिन हॉस्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	70,000/-
2	Total Knee Replacament	85,000/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मांगक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक सभिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

निरन्तर.....2

24

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-7/2009/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,


विषय: नेशनल हॉस्पिटल जबलपुर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-7/2009/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 22/01/2010 के अनुक्रम में नेशनल हॉस्पिटल जबलपुर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 21/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 373/379/2013/नि/चार, दिनांक 22/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्र. ज्ञा औरगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन


✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-7/2009/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 373/379/2013/नि/चार, दिनांक 22/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, नेशनल हॉस्पिटल जबलपुर। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-3/07/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रति,

- 1- शासन के सगरस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत ।


—000—

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-3/07/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 25/10/2010 के अनुक्रम में टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 01/03/2012 एवं दिनांक 2.4.2012 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 01/03/2014 एवं दिनांक 2.4.2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 373/379/2013/नि/चार, दिनांक 22/02/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(प्रज्ञा औरंगाबादकर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 22/02/2013

पृ. क्रमांक एफ 9-3/07/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 373/379/2013/नि/चार, दिनांक 22/02/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.भोपाल।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर।

की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

६

मंत्रालय

प्रति.

- 000—

मध्य प्रदेश शासन

लोक सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग